

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/शैक्षणिक/2024

दिनांक / /2024

आदेश

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (छात्रों की शिकायतों के निवारण) विनियम 2023 की कण्डिका 6 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 655/शैक्षणिक/2024 दिनांक 12.03.2024 के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्कूटनी समिति का प्रतिवेदन एवं माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनानुसार डॉ. सुनील भास्करराव नाहातकर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, अ ब्लॉक 401, दत्त टाउनशिप तिलहरी, जबलपुर (म.प्र.) पिन 482020 को उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में लोकपाल (Ombudsman) नामांकित किया जाता है। यह आदेश आगामी 3 वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनके द्वारा कार्य ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगा।

लोकपाल (Ombudsman) की सेवा शर्तें इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों के निवारण) विनियम 2023 की कण्डिका 6 के प्रावधान के अनुसार होगी। मानदेय राशि रु. 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) प्रति सुनवाई दिवस एवं स्थानीय यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 31/5/2024

पृ. क्रमांक 1270/शैक्षणिक/2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ. सुनील भास्करराव नाहातकर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, अ ब्लॉक 401, दत्त टाउनशिप तिलहरी, जबलपुर (म.प्र.) पिन 482020 की ओर सूचनार्थ।
2. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, सचिवालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. कुलपति जी के निज सचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कामधेनु भवन, लिंक रोड वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.)
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचना
7. विल्लत नियंत्रक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
8. समस्त संचालक, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महूरीवा।
10. अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।
11. व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव